

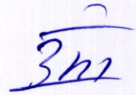
सं० 5/37/2017-स्था० पांच /385-389
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

कमरा नं० 329, सेवा भवन,
रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली .110066.
नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 2018

कार्यालय आदेश

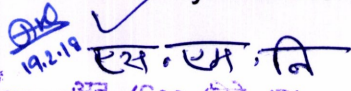
केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1997 के नियम 43-A के अनुसार श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक-II, को उनकी पहली संतान पुत्र के जन्म (दिनांक 28.8.2017) के लिए दिनांक 11.12.2017 से 25.12.2017 तक 15 दिन का पैतृक अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट्टी से लौटने के पश्चात उन्हें उसी पद व स्थान पर पदस्थापित किये जाने की संभावना है जहां से वह छुट्टी पर गए थे ।


(उमा देवी रंगा)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिरू.

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
2. अनुभाग अधिकारी, लेखा-तीन अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक-II, CMDD(NW&S) Dte., केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
4. कार्यालय आदेश मिसिल ।
5. Dy. Director, SMD, CWC, For upload on the website of CWC


19.2.18
अनु./Sec./निदे./Dte.
डा. सं./Dy. No. 51
दिनांक/Date 19/2/18